

**IT-44**

NOTIFICATION OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF INDIA OF 15  
APRIL 2013

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 850]  
No. 850]नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 15, 2013/चैत्र 25, 1935  
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 15, 2013/CHAITRA 25, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2013

का.आ. 964(अ).—रिट याचिका (सिविल) 135/2012 और विशेष इजाजत याचिका (सिविल) सं० 20370/2012 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय, तारीख 18 जनवरी, 2013 और याची सं० 2 और याची सं० 3, श्री मस्सिमिलानो लाटोरे और श्री सलवाटोरे गिरोने के मामले का विचारण करने तथा राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड महाद्वीपीय मग्नतट भूमि अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80), भारतीय दंड संहिता (1860 का 45), दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों और संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि अभिसमय, 1982 के उपबंधों के अनुसार, उसका निपटारा करने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करने के संबंध में उसमें अंतर्विष्ट निदेशों का अनुसरण करते हुए, केंद्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात् और संसूचनाएं तारीख 3 अप्रैल, 2013 तथा तारीख 11 अप्रैल, 2013, दोनों इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के महारजिस्ट्रार से प्राप्त हुई हैं, पर विचार करने के पश्चात्, श्री मस्सिमिलानो लाटोरे और श्री सलवाटोरे गिरोने के विचारण से संबंधित मामले पर कार्यवाई करने के लिए, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली को नियुक्त करती है और इसके अतिरिक्त, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोल्लम के समक्ष लंबित मामले और कार्यवाहियों, जिन्हें भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय, तारीख 18 जनवरी, 2013 के निबंधनानुसार, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को अंतरित किया गया है, पर विचारण करने तथा उनका निपटारा करने के लिए अपर सेशन न्यायाधीश-01, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली को विशेष पदाभिहित न्यायालय के रूप में नियुक्त करती है :

केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली तथा अपर सेशन न्यायाधीश का न्यायालय-01, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली, विशेष पदाभिहित न्यायालय के समक्ष श्री मस्सिमिलानो लाटोरे और श्री सलवाटोरे गिरोने के विचारण से संबंधित कार्यवाहियों के संबंध में मामलों के संचालन के लिए, भारत संघ की ओर से श्री सिद्धार्थ लूथरा, अपर महासालिसिटर और श्री सतीश एल० मानेशिंदे, अधिवक्ता को, भारत के उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय, तारीख 18 जनवरी, 2013 के निबंधनानुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोल्लम से अंतरित मामले और कार्यवाहियों पर विचारण करने तथा उनका निपटारा करने के लिए नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 17011/27/2012-आई.एस.-6 (आई.एस.-4)]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

1533 GI/2013

(1)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2013

**S.O. 964(E).**— In pursuance of the judgment dated the 18<sup>th</sup> January, 2013 of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) 135/2012 and Special Leave Petition (Civil) No. 20370/2012, and the directions contained therein for setting up of a Special Court to try the case of Mr. Massimilano Latorre and Mr. Salvatore Girone, Petitioner Nos. 2 and 3 and dispose of the same in accordance with the provisions of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976), the Indian Penal Code (45 of 1860), the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and the provisions of the United Nations Convention on Law of Seas, 1982, the Central Government, after consultation with the Chief Justice of India and the Chief Justice and other Judges of the High Court of Delhi, and after taking into account the communications dated the 3<sup>rd</sup> April, 2013 and 11<sup>th</sup> April, 2013, both received from the Registrar General of the High Court of Delhi in this regard, hereby appoints the Chief Metropolitan Magistrate, Patiala House, New Delhi to deal with the case pertaining to the trial of Mr. Massimilano Latorre and Mr. Salvatore Girone, and further appoints and designate the Court of Additional Sessions Judge-01, Patiala House, New Delhi as Special Designated Court to try and dispose of the case and proceedings pending before the Chief Judicial Magistrate, Kollam which stand transferred to the Chief Metropolitan Magistrate, and the Court of Additional Sessions Judge-01, the Special Designated Court in terms of the judgment dated the 18<sup>th</sup> January, 2013 of the Supreme Court of India;

In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Sidharth Luthra, Additional Solicitor General and Shri Satish L. Maneshinde, Advocate as Special Public Prosecutors on behalf of the Union of India, for conducting the cases in relation to the proceedings pertaining to the trial of Mr. Massimilano Latorre and Mr. Salvatore Girone, before the Chief Metropolitan Magistrate, Patiala House, New Delhi and the Court of Additional Sessions Judge-01, Patiala House, New Delhi, the Special Designated Court, to try and dispose of the case and proceedings transferred from the Chief Judicial Magistrate, Kollam in terms of the said judgment dated the 18<sup>th</sup> January, 2013 of the Supreme Court of India.

[F. No. 17011/27/2012-IS-VI (IS-IV)]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.